Publications	Editions	Published On
Dainik Navjoyti	Ajmer	26-08-2020

RSWM Limited
an LNJ Bhilwara Group Company

आर एस डब्लू एम लिमिटेड

सीआईएन: L17115RJ1960PLC008216
पंजीकृत कार्यालयः खारीग्राम, पोस्ट गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा-311021, राजस्थान
फोन: +91-1483-223144 से 223150, 223478, फैक्स: +91-1483-223361, 223479
कॉर्पोरेट कार्यालय : भीलवाड़ा टॉवर्स, ए-12, सेक्टर-1, नोएडा-201301 (उ.प्र.)
फोन: +91-120-4390300 (EPABX), फैक्स: +91-120-4277841
ईमेल: rswm.investor@lnjbhilwara.com; वेबसाइट: http://www.rswm.in

59वीं वार्षिक आम बैठक, ई–वोटिंग तथा पुस्तक बंदी की सूचना

19 अगस्त, 2020 को जारी किए गए हमारे अखबार के विज्ञापन के क्रम में, एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड ("कम्पनी") की 59वीं वार्षिक आम बैठक **("एजीएम")** बृहस्पतिवार, 24 सितम्बर, 2020 को अपराह्न 2:00 बजे कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने योग्य प्रावधानों तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों एवं सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (यथा संशोधित), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय **("एमसीए")** द्वारा जारी परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांकित 5 मई, 2020 के साथ पठित परिपत्र संख्या 14/2020 एवं परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020 एवं दिनांकित 13 अप्रैल, 2020 क्रमशः, तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(सेबी)** द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020 (सामूहिक रूप से **लागू परिपत्र** के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग **("वीसी")** / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स **("ओएवीएम")** के माध्यम से, कार्यक्रम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, उन्सठ्वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सामान्य एवं विशेष व्यवसायों के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। बैठक का स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय, खारीग्राम पी.ओ. गुलाबपुरा – 311 021, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान माना जाएगा।

लागू परिपत्रों के अनुपालन में, 59वीं एजीएम की सूचना एवं कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें वित्तीय वर्ष 2019–20 के एकल एवं समेकित वित्तीय विवरण शामिल हैं, बोर्ड की रिपोर्ट, अंकेक्षकों की रिपोर्ट इसके अतिरिक्त अन्य वांछित संलग्नक दस्तावेजों सहित, 24 अगस्त, 2020 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा कम्पनी के सदस्यों को, जिनका ईमेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत है, प्रेषित कर दी गई हैं। सदस्यों को 59वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को लागू परिपत्रों के हवाले से समाप्त कर दिया गया है।

59वीं एजीएम की सूचना तथा कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.rswm.in पर, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर तथा एनएसडीएल (रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई–वोटिंग हेतु निर्देशः

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 एवं सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44, आम बैठक पर सेक्रेटेरियल स्टैण्डर्ड–2 तथा लागू परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी अपने सदस्यों को, 59वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों के एजीएम में संपादित होने के सम्बन्ध में, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) – इलेक्ट्रिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा प्रदान करने वाली अधिकृत एजेंसी के माध्यम से, रिमोट ई–वोटिंग / ई–वोटिंग के द्वारा अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक तौर पर डालने की सुविधा प्रदान कर रही है।

17 सितम्बर, 2020 की कट–ऑफ तिथि के अनुसार, भौतिक रूप में या डीमैटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या **कट–ऑफ तिथि अर्थात् 17 सितम्बर, 2020** के अनुसार डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थियों के रजिस्टर में दर्ज हो, केवल वही रिमोट ई–वोटिंग के साथ ही वार्षिक आम बैठक में वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने हेतु अधिकृत होगा।

रिमोट ई–वोटिंग की अवधि सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 (9:00 बजे प्रातः भारतीय मानक समय) से आरम्भ होगी तथा बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 (5:00 बजे प्रातः भारतीय मानक समय) पर समाप्त होगी। रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल की अनुमति बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 को 5:00 बजे सायं के उपरान्त नहीं दी जाएगी। उसके पश्चात् वोटिंग हेतु रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। डिमैटेरियलाइज्ड तौर पर, भौतिक तौर पर शेयर रखने वाले धारक तथा ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, हेतु ई–वोटिंग की प्रणाली सूचना में प्रदान की गई है। रिमोट ई–वोटिंग/ एजीएम में ई–वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर उपलब्ध कराया गया है। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सम्मिलित होने की सुविधा एनएसडीएल ई–वोटिंग पोर्टल के माध्यम से www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम के दौरान लॉगिन की विस्तृत प्रक्रिया हेतु 59वीं एजीएम की सूचना संदर्भित करें।

एक बार शेयरधारक द्वारा एक प्रस्ताव पर वोट डाले जाने के पश्चात्, शेयरधारक को तदनंतर इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के पश्चात् परन्तु **कट–ऑफ तिथि अर्थात् 17 सितम्बर, 2020** के पूर्व कम्पनी का सदस्य बनता है तो वह अपने में डीमैट अकाउंट नंबर / फोलियो नंबर, पैन, नाम एवं पंजीकृत पते के उल्लेख सहित evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। ऐसे सदस्य कम्पनी द्वारा 59वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट तरीके से, ई–वोटिंग निर्देशों का उपयोग करके अपने वोट डाल सकते हैं। हालांकि, जो सदस्य पहले से ही ई–वोटिंग हेतु एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, वे रिमोट ई–वोटिंग / एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

ई–वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी एवं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने पहले से अपना वोट नहीं डाला है, सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय(ओं) पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे एजीएम में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु एजीएम में पुनः अपना वोट डालने हेतु अधिकृत नहीं होंगे।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिनका ईमेल पता कम्पनी के साथ अथवा उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी/ओं के साथ पंजीकृत नहीं है, वे अपने फोलियो नंबर, पूर्ण पते, पैन की स्व–सत्यापित स्कैन प्रति और सदस्य के पंजीकृत पते के समर्थन में कोई भी दस्तावेज (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक विवरण, आधार) का उल्लेख करते हुए एक हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति rswm.investor@lnjbhilwara.com/ या admin@mcsregistrars.com पर ईमेल द्वारा और/ या एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ–65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–1, नई दिल्ली – 110020 को पत्र द्वारा भेजें। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी/ओं के माध्यम से अपना ईमेल पता अपडेट कर सकते हैं।

कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें, एजीएम के उद्देश्य से, शुक्रवार, 18 सितम्बर, 2020 से बृहस्पतिवार, 24 सितम्बर, 2020 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने ई–वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच हेतु श्री महेश गुप्ता, संव्यावसायिक कम्पनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस 2870) की संवीक्षक के तौर पर नियुक्ति की है।

परिणाम की घोषणा बैठक के समापन से अड़तालीस घंटे के अन्दर, कम्पनी की वेबसाइट www.rswm.in पर, एनएसडीएल (रिमोट ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर प्रदर्शित कर तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com में फाइलिंग कर की जाएगी।

बोर्ड के आदेश से
कृते **आर एस डब्लू एम लिमिटेड**

सुरेन्दर गुप्ता
कम्पनी सचिव
एफसीएस–2615

स्थान : नोएडा (उ.प्र.)
दिनांक : 25 अगस्त, 2020